चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक: परीक्षा–2020 / 1810
दिनांक: 29.02.2020

अति आवश्यक

प्रेषित,

प्राचार्य / प्राचार्या
राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्त–पोषित महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश, सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय : शासनादेश संख्या–01 / 2020 / 217 / सत्तर–1–2020–16(9) / 2018, दिनांक 03 जनवरी, 2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश दिनांक 03जनवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के लिये शासन द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाना था।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा जारी उक्त शासनादेश की एक प्रति शासन द्वारा सीधे आपको पूर्व में ही इस आशय से उपलब्ध कराई गई थी कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त व्यवस्थाएं की जायें। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 01,02,17,व 40 का अनुपालन महाविद्यालय स्तर से ही सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बंध में आपसे यह भी अपेक्षा की गई थी कि शासनादेश के उक्त बिन्दुओं 01, 02, 17 व 40 में उल्लिखित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इस सम्बंध में मुझे पुनः यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त आदेश संख्या–01 / 2020 / 217 / सत्तर–1–2020–16(9) / 2018, दिनांक 03 जनवरी, 2020 में उल्लिखित बिन्दुओं में निर्धारित नियमों व मानकों का यदि किसी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है अथवा उनका किसी भी तरह उल्लंघन किया जाता है तो समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित महाविद्यालय / संस्थान का होगा एंव महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य एंव प्रबंधन के पदाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय
29/02/2020
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01 सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
02 वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
03 वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।

सहा0 कुलसचिव(परीक्षा)